माननीय प्रोटेम अध्यक्ष का संबोधन

पंचम झारखण्ड विधान सभा के सभी नवनिर्वाचित माननीय सदस्यों का हार्दिक अभिनन्दन। सभा के इस सत्र में आज के दिन आप सभी माननीय सदस्यों को शपथ दिलाने अथवा प्रतिज्ञान का दायित्त्व माननीया राज्यपाल महोदया द्वारा मुझे भारत के संविधान के अनुच्छेद 180 के अधीन सौंपा गया है। सभा सचिव बारी–बारी से इस हेतु माननीय निर्वाचित सदस्यों का नाम उनके क्षेत्र संख्या सहित पुकारेंगे और इसके उपरांत शपथ या प्रतिज्ञान की यह प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 188 के अधीन निर्वाचित सदस्यों द्वारा पूरी की जायेगी।

माननीय निर्वाचित सदस्यों को मैं यह भी जानकारी देना चाहूँगा कि माननीया राज्यपाल महोदया ने झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 8 के उप नियम (1) के आलोक में विधान सभा अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए 7 जनवरी, 2020 की तिथि निर्धारित की है, इस संबंध में उनसे प्राप्त संदेश को भी मैं पढ़ कर सुना देना चाहता हूँ –

संदेश

झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 8 के उप नियम (1) के अनुसार मैं, द्रौपदी मुर्मू, झारखण्ड की राज्यपाल एतद् द्वारा झारखण्ड विधान सभा के अध्यक्ष के चुनाव के लिए दिनांक 7 जनवरी, 2020 की तिथि निर्धारित करती हूँ।

हस्ताक्षर

(द्रौपदी मुर्मू)

राज्यपाल, झारखण्ड।

राँची, दिनांक 02 जनवरी, 2020

कृ0पृ0उ0/–

Scanned by CamScanner

माननीया राज्यपाल महोदया द्वारा अपने संदेश में प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के जिस नियम का उल्लेख किया गया है उसके क्रम में विस्तृत सूचना आपको झारखण्ड विधान सभा सचिवालय द्वारा प्रेषित पत्र के माध्यम से भेज दी गयी है फिर भी आप सभी की सुविधा के लिए मैं अध्यक्ष पद के नामांकन से संबंधित प्रक्रिया का विस्तार से उल्लेख कर देना चाहता हूँ –

नियम 8 (1) अध्यक्ष का निर्वाचन उस तिथि को होगा जो राज्यपाल निश्चित करे और सचिव प्रत्येक सदस्य को उस तिथि की सूचना भेजेगा

(2) इस प्रकार नियत तिथि के पूर्व, दिन के मध्याह्न से पहले कोई भी सदस्य किसी भी प्रस्ताव को कि किसी अन्य सदस्य को सभा का अध्यक्ष चुना जाये सचिव को संबोधित लिखित रूप में सूचना दे सकेगा और उस सूचना का अनुमोदन एक तीसरा सदस्य करेगा तथा उसके साथ उस सदस्य का, जिसका नाम सूचना में प्रस्थापित किया जाये यह कथन संलग्न होगा कि निर्वाचित होने पर वह अध्यक्ष के रूप में कार्य करने को सहमत है,

परन्तु कोई सदस्य अपना स्वयं का नाम प्रस्थापित नहीं करेगा, न उसका अपना नाम प्रस्थापित करने वाले प्रस्ताव का अनुमोदन करेगा और न ही एक से अधिक प्रस्ताव प्रस्थापित या अनुमोदित करेगा।

माननीय निर्वाचित सदस्यगण, अपना शपथ ग्रहण या प्रतिज्ञान करें इसके पूर्व मैं झारखण्ड के तमाम वीर शहीदों के प्रति अपनी श्रद्धा निवेदित करता हूँ और यह कामना भी करता हूँ कि हम सब मिलकर इन अमर शहीदों के सपनों के अनुरूप झारखण्ड को गढ़ने का काम करें और इसे आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका का सार्थक निर्वहन करें।

धन्यवाद।

Scanned by CamScanner